## Form 21C

(See rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951

Election to the Legislative Assembly of Rajasthan State from the 141-Ahore Assembly constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that -

SHRI CHHAGAN SINGH RAJPUROHIT (Name)

PUROHITO KA WAS, HARJI TEHSIL-AHORE, DIST-JALORE (Address) Sponsored by BHARATIYA JANATA PARTY (name of the recognized/registered political party) has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place: Jalore

Dated: 03.12.2023

Signature CUSUM LATA CHOUHAN)
Assembly General Election-2023
Returning Officer
Assembly Constituency-141
(SDM) Ahore (Distt. Jalore)

## प्ररूप 21ग

## (नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सिवरोध हो) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन परिणाम की घोषणा।

141-आहोर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधो के अनुसरण में, मैं घोषणा करती हूं कि -

श्री छगनसिंह राजपुरोहित (नाम) पुरोहितों का वास, हरजी, तहसील-आहोर, जिला-जालोर (पता) जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त/ रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए हैं।

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान : जालोर

दिनांक: 03.12.2023

हस्ताक्षर..

आहोर (**141)** उपखण्ड मजिस्ट्रेट, आहोर